न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 5/2019 गुण्डा नियंत्रण एक्ट

अनवानी :– भंवरलाल पुत्र स्व. अलसीराम जाति प्रजापत निवासी कुम्हारों का मोहल्ला, गंगाशहर जिला बीकानेर ।

——— अपीलांट

—— बनाम ——

स्टेट जरिये सहायक लोक अभियोजक, बीकानेर ।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– मनोज कुमावत — अभिभाषक अपीलान्ट
भगवानसिंह — सहायक लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 11.6.2019**

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6(1) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) बीकानेर के निर्णय दिनांक 14.3.19 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 15.4.19 जिसके द्वारा अपीलान्ट को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर जिला क्षेत्र बीकानेर से एक माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश दिये गये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा लोक अभियोजक के माध्यम से दिनांक 1.2.2018 को अति. जिला मजिस्ट्रेट(नगर) बीकानेर के समक्ष राज. गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी भंवरलाल पुत्र स्व. अलसीराम जाति प्रजापत निवासी कुम्हारों का मोहल्ला, गंगाशहर जिला बीकानेर के विरूद्व इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरसायल अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है तथा जुआ सट्टा करने का आदी है, गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ़ रही है, गैर सायल युवा पीढी एवं नवयुवकों को जुआ सट्टा जैसी गलत आदतों में धकेल रहा है । गैर सायल के खिलाफ लोग अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुक्शान के भय के कारण गवाही देने को तैयार नहीं है । इसके विरुध्द जुआ अधिनियम के अन्तर्गत कुल 2 प्रकरण दर्ज हुए तथा दोनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब फरमाया गया है । गैर सायल द्वारा सट्टे की खाईवाली करने से युवा पीढी पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा सामाजिक बुराई को समाज में फैला रहा है । गैरसायल गुण्डा की परिभाषक में आता है । गैरसायल का शहर में

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रहना आम जनता के लिए हितबध्द नहीं होने के कारण जिला बदर होना जनता के हित में है ।

3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) बीकानेर द्वारा दिनांक 30.10.17 को अपीलान्ट के निमित अनुसूची प्रपत्र–1 में आरोपों की सूचना देते हुए जवाब स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 22.2.18 की तारीख पेशी दी गयी । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 22.2.18 को स्वयं जरिये अभिभाषक उपस्थित होने पर उन्हें धारा 3 का नोटिस पढकर सुनाया एवं समझाया । अपीलान्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 19.4.18 को जवाब प्रस्तुत किया गया । अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू–1 सुभाष बिजारणिया के बयान लेखबध्द करने के पश्चात न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) बीकानेर ने दिनांक 14.3.2019 को निर्णय परित कर अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिध्द मानते हुए धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर अपीलान्ट को जिला क्षेत्र बीकानेर से एक माह की अवधि के लिए निष्कासित करने तथा संशोधित आदेश दिनांक 15.4.2019 द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना सुजानगढ़ जिला चूरु में रिपोर्ट प्रस्तुत करने व मुख्यालय सुजानगढ में रहने के आदेश दिये । न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) बीकानेर के उक्त आदेश दिनांक 14.3.19 एवं संशोधित आदेश 15.4.19 के विरुध्द गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

5. अभिभाषक अपीलान्ट का अपील में मुख्य रुप से कथन है कि अपीलार्थी के विरुध्द राजस्थान पब्लिक गैंबलिंग अधिनियम के तहत थानाधिकारी, पुलिस थाना, गंगाशहर बीकानेर द्वारा दो प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिनमें प्रथम प्रकरण मुकदमा नं0 59/14 दिनांक 18.2.14 व दूसरा प्रकरण मुकदमा सं0 60/17 दिनांक 17.3.17 होना बताया, जिनमें लगभग 3 वर्ष का अन्तराल है । उक्त दोनों मुकदमों में अपीलार्थी पर मात्र 100/– रुपये जुर्माना किया गया है जो अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय की समझाईस एवं लोक अदालत की प्रेरणा से निस्तारण करवाया है । रेस्पोन्डेंट द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में अपीलान्ट को जुआ सट्टा का आदि बताया है, जबकि सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने से सम्बनिधत दस्तावेज इस्तगासा के साथ प्रस्तुत नहीं किया । प्रार्थी अपीलान्ट ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, जिसके कारण किसी व्यक्ति के शरीर या सम्पत्ति को खतरा या नुकसान हो रहा हो । अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर) बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.3.19 एवं संशोधित आदेश दिनांक 15.4.19 निरस्त करने हेतु निवेदन किया ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के विरुध्द धारा 13 आरपीजीओ के तहत कुल 2 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें बाद अनुसन्धान न्यायालाय में चालान पेश किया गया तथा सक्षम न्यायालाय द्वारा दोनों प्रकरणों में अपीलान्ट को सजायाब फरमाया गया है । प्रकरण में धारा 3(1) की उप धारा ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिध्द करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाह पीडब्लू–1 प्रस्तुत किया गया हैं। जुआ अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुए मुकदमों में अवधि की बाध्यता नहीं है । गैर सायल गुण्डा की परिभाषा में आता है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 1.2.2018 के अनुसार अपीलार्थी के विरुध्द जुआ अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित 2 मुकदमे दर्ज होकर न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है :–

क.सं.	मु.नं. व दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय दिनांक	नतीजा
1	59/18.2.14	13 RPGO	28.3.14	सजा जुर्माना
2	60/17.3.17	13 RPGO	19.1.17	सजा जुर्माना

8. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन हेतु निम्नलिखित तीन शर्तो का होना आवश्यक है :–

क– वह व्यक्ति गुण्डा हो ।

ख– (i) उसकी गतिविधियों से जिले/किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ।

(ii) वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ।

ग– साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने के कारण उसके विरुध्द साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ।

9. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2–ख(v) अनुसार राजस्थान लोक धूत अध्यादेश 1949 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिध्द होने पर वह गुण्डा की श्रेणी में आता है । प्रकरण में अपीलार्थी के विरुध्द धारा 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत कुल 2 मुकदमे दर्ज हुए एवम् दोनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सजायाब किया गया है । इस प्रकार अपीलार्थी धारा 2 ख (v) अनुसार गुण्डा की परिभाषा में आता है । अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि दूसरा मुकदमा दर्ज होने में 3 वर्ष का अन्तराल है, जबकि गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 में अपीलान्ट के विरुध्द दर्ज हुए जुआ अधिनियम के मुकदमों में समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं है । प्रकरण में प्रस्तुत इस्तगासा के अनुसार अपीलान्ट

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जुआ सट्टे का आदि है एवम् इसकी ताईद में अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू–1 को पेश किया गया है, जिसके अनुसार अपीलान्ट की आम शोहरत अच्छी नहीं है, जुआ सट्टे का आदि है मोहल्ले के आम जन में भय व्याप्त है तथा भय के कारण लोग इसके विरुध्द पुलिस में शिकायत करने या गवाही देने से डरते हैं। प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अपने बचाव पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई गवाह पेश नहीं किया है ।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्ट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 ख की उप धारा (v) के अन्तर्गत गुण्डे की परिभाषा में आता है । अपीलार्थी की आम शोहरत अच्छी नहीं है, जिसके कारण लोगों में भय है एवम् भय के कारण आमजन अपीलान्ट के विरुध्द शिकायत करने से डरते हैं । अपीलान्ट के भय से आमजन की सम्पत्ति को खतरा एवं संत्रास है । इस प्रकार अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट तीनें शर्ते पूरी होने से न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) बीकानेर द्वारा अपीलान्ट को एक माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र बीकानेर से निष्कासित करते हुए संशोधित आदेश दिनांक 15.4.19 अनुसार एक माह की निष्कासित अवधि में जिला चूरु में थानाधिकारी, पुलिस थाना सुजानगढ़ को रिपोर्ट दिये जाने के आदेश दिये गये हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः जिला बदर के आदेश को यथावत रखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) बीकानेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.3.19 एवं संशोधित आदेश 15.4.19 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

11. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो । निर्णय आज दिनांक 11.6.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर